



2026:AHC:34171-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **30210/2025**

चंदन यादव (पति) एवं 11 अन्य याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अभिषेक सरोज, सुनील कुमार यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता), रंजीत यादव

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार यादव की ओर से संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए श्री विशाल विश्वकर्मा ने बार में यह बयान दिया है कि प्रस्तुत मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आरोप-पत्र (चार्जशीट) भी दाखिल किया जा चुका है।
3. इसके दृष्टिगत, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वह इस रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं और उचित चरण पर उचित मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
5. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।
6. प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो, नियमानुसार याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को वापस कर दी जाए।

(अचल सचदेव, जे.) (राजीव गुप्ता, जे.)

फरवरी 16, 2026

नदीम

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"